



2026:AHC:129548

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18568/2026

सत्यम यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : अनुराग यादव, राय साहब यादव

विपक्षी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 129/2025 अंतर्गत धारा 109(1) बीएनएस, 2023, पुलिस स्टेशन-दारागंज, जिला-प्रयागराज में आवेदक की ओर से जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है। आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। इस वाद के अतिरिक्त, आवेदक का दो अन्य वादों में आपराधिक इतिहास है, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा उसे पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 17.04.2026 से जेल में बंद है। इन परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए वाद सिद्ध किया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपरोक्त वाद में लिप्त आवेदक **सत्यम यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसका उस पर आरोप है या संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी (अनुरूप धारा 84 बीएनएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 209 बीएनएस) के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को (i) सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) धारा 313 सीआरपीसी (धारा 351 बीएनएसएस के अनुरूप) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकों की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I)

25 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।